रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 1987/ज्येष्ठ 6, 1909
No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 1987/VAISAKHA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

नई दिल्ली, 27 मई, 1987

आदेश

सं. 5(6)/बी आई एफ आर(बी सी)/87.—औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के सचिव को उक्त अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य या पालन

किए जाने वाली शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन करता है, किन्तु उनके सिवाय जो, —

धारा 16 की उपधारा (2) और (4) ;
धारा 17 ;
धारा 19 की उपधारा (3) और (4)
धारा 20 की उपधारा (1) और (4)
धारा 22 की उपधारा (3) और
धारा 24 ;

में विनिर्दिष्ट हैं ;

परन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि सचिव द्वारा, उसको प्रत्यायोजित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए की गई कारवाई या आरंभ की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट, बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसी कारवाई किए जाने या कार्यवाही आरंभ किए जाने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

एस. सी. त्रिपाठी, सचिव

BOARD FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 27th May, 1987

ORDER

No. 5(6)/BIFR(BC)/87.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Board for Industrial and Financial Reconstruction hereby delegates to the Secretary to the Board, all the powers and duties exercisable or to be performed by it under the said Act, other than those specified in—

sub sections (2) and (4) of Section 16, 17,

sub-sections (3) and (4) of Section 19 ;

sub-sections (1) and (4) of Section 20 ;

sub-section (3) of Section 22 and Section 24 ;

subject to the condition that a report as to the action taken or proceeding initiated by the Secretary, in exercise of the powers and duties delegated to him, shall be submitted to the Chairman of the Board, within 15 days of taking of such action or initiation of such proceeding.

[No. 5(6)/BIFR/(BC)/87]

S. C. TRIPATHI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987